

कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर (राज0)

क्रमांक :- रसद/एफपीएस नियुक्ति/2025/364

दिनांक :- 31/10/25

उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.07.2025 व 07.08.2025 द्वारा विज्ञापित दुकानों में से ऐसी दुकाने शामिल की गयी है जहां पर एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। 02 स्थानों पर आवेदक निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने के कारण विज्ञापित स्थान रिक्त है। अतः इन स्थानों पर पुनः आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 08 अन्य उचित मूल्य दुकानों के भी आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन दिनांक 03.11.2025 से 21.11.2025 तक कार्यदिवस के दौरान समय 11.00 एएम से 04.00 पीएम तक जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला रसद अधिकारी, सीकर के पक्ष में प्रस्तुत कर, प्राप्त किया जा सकेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2025 को सायं 04 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में जिला रसद कार्यालय, सीकर में जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि/समय बाद अथवा अपूर्ण आवेदन-पत्रों या अन्य स्रोतों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड सीमांकन से पूर्व के पुराने वार्ड है।

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क.स.	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड सं.	दुकान का विवरण	रिक्त दुकान होने की स्थिति में पोस कोड संख्या	प्रस्तावित दुकान की वर्तमान स्थिति (रिक्त/नवसृजित)	आरक्षण
1	खंडेला	रींगस	वार्ड नंबर 1 रींगस	16616	रिक्त	सामान्य
2	खंडेला	रींगस	वार्ड नंबर 8 रींगस	16599	रिक्त	सामान्य
3	खंडेला	जाजोद	जाजोद	30433	रिक्त	महिला आरक्षित
4	खंडेला	खंडेला	वार्ड नंबर 2 खंडेला	16575	रिक्त	सामान्य
5	दांतारामगढ़	खाटू	वार्ड 06 खाटू	7997	रिक्त	महिला आरक्षित
6	दांतारामगढ़	भारीजा	चक मिटाई	-	नवसृजित	सामान्य
7	दांतारामगढ़	खोरा	कैलाश	-	नवसृजित	सामान्य
8	दांतारामगढ़	बाय	बाय	7977	रिक्त	सामान्य
9	धोद	सिहोट बड़ी	सिहोट बड़ी	21896	रिक्त	सामान्य
10	धोद	किरडोली	किरडोली	31337	रिक्त	सामान्य
11	धोद	सावंलोदा लाडखानी	सावंलोदा लाडखानी	21893	रिक्त	महिला आरक्षित
12	नीमकाथाना	नीम का थाना	वार्ड नंबर 5 नीम का थाना	16545	रिक्त	महिला आरक्षित

13	नीमकाथाना	नीम का थाना	वार्ड न 16 नीम का थाना	16563	रिक्त	महिला आरक्षित
14	नीमकाथाना	भगेगा	भगेगा	22139	रिक्त	सामान्य
15	नीमकाथाना	घासीपुरा	रैंया का बास	22163	रिक्त	महिला आरक्षित
16	नीमकाथाना	सालोदडा	कंवर की नांगल	22196	रिक्त	सामान्य
17	नीमकाथाना	नीमकाथाना	वार्ड न 07 नीम का थाना	16548	रिक्त	महिला आरक्षित
18	नीमकाथाना	नीमकाथाना	वार्ड न 11 नीम का थाना	16555	रिक्त	महिला आरक्षित
19	नीमकाथाना	नीमकाथाना	वार्ड न 13 नीम का थाना	16558	रिक्त	महिला आरक्षित
20	नीमकाथाना	नीमकाथाना	वार्ड न 09 नीम का थाना	16552	रिक्त	महिला आरक्षित
21	नीमकाथाना	कोटडा	कोटडा	8089	रिक्त	महिला आरक्षित
22	नीमकाथाना	नीमकाथाना	वार्ड नंबर 12 नीम का थाना	16556	रिक्त	महिला आरक्षित
23	नीमकाथाना	नीम का थाना	वार्ड नं 02 नीम का थाना	16539	रिक्त	सामान्य
24	फतेहपुर	बाठोद	बाठोद	7903	रिक्त	महिला आरक्षित
25	फतेहपुर	फतेहपुर	वार्ड न 4 फतेहपुर	16640	रिक्त	महिला आरक्षित
26	फतेहपुर	रोहलसाहबसर	कल्याणपुरा	23856	रिक्त	सामान्य
27	फतेहपुर	बेसवा	बेसवा	28641	रिक्त	सामान्य
28	फतेहपुर	गंगयासर	उदनसर	21756	रिक्त	सामान्य
29	फतेहपुर	फतेहपुर	वार्ड नंबर 16 फतेहपुर	16666	रिक्त	महिला आरक्षित
30	फतेहपुर	फतेहपुर	वार्ड नंबर 23 फतेहपुर	16681	रिक्त	सामान्य
31	फतेहपुर	ठिमोली	ठिमोली	7922	रिक्त	सामान्य
32	फतेहपुर	अठवास	जलालसर	7901	रिक्त	महिला आरक्षित
33	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	वार्ड न 28 लक्ष्मणगढ़	16771	रिक्त	सामान्य
34	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	वार्ड नंबर 24 लक्ष्मणगढ़	16766	रिक्त	महिला आरक्षित
35	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	वार्ड नंबर 29 लक्ष्मणगढ़	16773	रिक्त	सामान्य

36	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	वार्ड नंबर 25 लक्ष्मणगढ़	16767	रिक्त	सामान्य
37	नेछवा	रूल्याणी माली	विजयपुरा	30695	रिक्त	सामान्य
38	नेछवा	काछवा	नासनवा	—	नवसृजित	सामान्य
39	सीकर	सीकर	वार्ड नंबर 26 सीकर	16419	रिक्त	सामान्य
40	सीकर	सीकर	वार्ड नंबर 33 सीकर	16463	रिक्त	सामान्य
41	सीकर	सीकर	वार्ड नंबर 29 सीकर	16426	रिक्त	महिला आरक्षित
42	सीकर	सीकर	वार्ड नंबर 19 सीकर	16404	रिक्त	महिला आरक्षित
43	श्रीमाधोपुर	फूटाला	खुरमपुरा	—	नवसृजित	सामान्य
44	श्रीमाधोपुर	बागरियावास	नावलाई	—	नवसृजित	सामान्य
45	श्रीमाधोपुर	कल्याणपुरा	जसवंतपुरा	—	नवसृजित	सामान्य
46	श्रीमाधोपुर	गढटकनेत	बड़ी ढाणी	—	नवसृजित	महिला आरक्षित
47	श्रीमाधोपुर	नांगल भीम	डेरावाली	—	नवसृजित	सामान्य
48	श्रीमाधोपुर	मोकलवास	लोहारवास	—	नवसृजित	सामान्य
49	श्रीमाधोपुर	जोरावरनगर	जोरावरनगर	21995	रिक्त	सामान्य
50	श्रीमाधोपुर	सिहोड़ी	सिहोड़ी	22022	रिक्त	सामान्य
51	श्रीमाधोपुर	मऊ	मऊ	30441	रिक्त	महिला आरक्षित
52	श्रीमाधोपुर	अजीतगढ़	वार्ड 1 अजीतगढ़	23858	रिक्त	सामान्य

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय उचित मूल्य दुकान आवंटन दिशा-निर्देश कमांक एफ 17(1)खा. वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों तथा एफ. 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 जयपुर दिनांक 25.11.2020 एवं 10.05.2025 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। विभागीय उचित मूल्य दुकान आवंटन दिशा-निर्देश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। आवेदन-पत्र के साथ योग्यताएं एवं शर्तें प्रकाशित की गई हैं। सभी आवेदक योग्यता एवं शर्तों का आवश्यक रूप से अवलोकन करें। आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि/निरस्त या स्थान परिवर्तन आदि करने के लिए कार्यालय हमेशा सक्षम रहेगा। जिन स्थानों पर विज्ञप्ति उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के कारण जारी की गई है उस पर आगामी कार्यवाही खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन रहेगी। उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।


 जिला कलक्टर (रसद),
 सीकर

क्रमांक:- रसद/एफपीएस नियुक्ति/2025/ 364

दिनांक :- 31/10/25

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार।
2. माननीय सांसद/विधायकगण जिला सीकर।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग जयपुर।
4. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग जयपुर।
5. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
6. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला सीकर।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को भेजकर लेख है कि अपने-अपने उपखण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कराना सुनिश्चित करावे।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, सीकर, उपखण्ड अधिकारी,, समस्त जिला सीकर।
10. रक्षित पत्रावली

जिला कलेक्टर (रसद),
सीकर